ा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

ई। वकीलों द्वारा कार्य
ा० राज्य कार्य में व्यस्त
तारीख पेशी हो गई गत
ा में दिनांक 16/07/25

हस्ताक्षर रीडर

वकील प्रार्थीगण उप० वास्ते रिपोर्ट
पत्रावली दिनांक 05/08/2025

री

ील प्रार्थीगण उप० वास्ते
ई पत्रावली दिनांक 19/08/25

द्वारा कार्य
ई में व्यस्त
ो गई गत
...16/09/25

र रीडर

ारा कार्य
में व्यस्त
गई गत
3/09/25

रीडर

श्री लासिंह वगैरह बनाम सरकार

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	23/09/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप० वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई पत्रावली दिनांक 3/10/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
	3/10/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप० वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई पत्रावली दिनांक 16/10/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
	16/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 12/11/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
	12/11/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप० वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई पत्रावली दिनांक 19/12/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
	19/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप० वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई पत्रावली दिनांक 8/1/26 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
	08/01/2026 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप० अप्रार्थी की तलबी हो चुकी है पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार	8/1/2026 NTDR बांदीकुई

भोलासिंह वगै. बनाम राजसरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	बांदीकुई उपस्थिति। इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थीगण वकील एवं पैरोकार सरकार द्वारा मूल प्रा.पत्र पर बहस की गयी। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः बहस उभय पक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बाद तकमील दाखिल पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर हो। 8/1/26 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:01420-228487

प्रकरण संख्या :—145 / 2024
प्रकरण दायर दिनांक:— 31.12.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक:—08.01.2026

उनवान

1. भोलासिंह
2. राजेश } पुत्रान देवनारायण
3. विमला
4. बादाम
5. रसाल } पुत्रियान देवनारायण
6. मु. कमली देवी पत्नि देवनारायण
7. भगवानसहाय पुत्र जयनारायण
8. रूपन्ता पत्नि भगवानसहाय
9. रामेश्वर पुत्र जयनारायण
10. सुखबाई पत्नि जयनारायण

समस्त जाति गुर्जर निवासी नांगवास तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा हाल तहसील बाँदीकुई जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128रा० लै० रे० एक्ट,
वास्ते करवाने पत्थरगढ़ी

निर्णय दिनांक 08.01.2026

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा० लै० रे० एक्ट, इस आशय से पेश किया कि प्रार्थीगण की भूमि काश्त खाता संख्या नया 51 पुराना 43 के खसरा नंबर 111 लगायत 120, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133 कुल किता 19 कुल रकबा 3.85 हैक्टेयर वाके ग्राम नांगवास तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा काबिज होकर काश्त करते चला आ रहे है। प्रार्थीगण के पडौसी खातेदारों के मध्य सीमा विवाद को लेकर झगडे होते रहते है तथा प्रार्थीगण की खाम डौल धीरे धीरे बिस्मार हो रही है। जिसकी बाबत सीमाज्ञान कराने हेतु तहसीलदार बांदीकुई के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार बांदीकुई के आदेशानुसार दिनांक 13.06.2024 को प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान कर मौका पर्चा बनाया। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि काश्त खाता संख्या नया 51 पुराना 43 में रकबा 3.85 हैक्टे. वाके ग्राम नांगवास तहसील बांदीकुई जिला दौसा मे स्थित है, का दिनांक 13.06.2024 को सीमाज्ञान करवाया तथा सीमाज्ञान के बाद

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण के पडौसी खातेदारान ने सीमा को सही होना बताया किन्तु प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार जबरन अपनी भूमि को प्रार्थीगण की कब्जे की भूमि में होना बताना चालू कर दिया। जिसकी वजह से दोनो पक्षों में सीमा विवाद हो गया। जिसकी वजह से प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना जरूरी है जिससे भविष्य में सीमा विवाद नहीं हो सके। दिनांक 10.12.2024 को प्रार्थीगण अपनी भूमि पर थे कि पडौसी खातेदार एकराय होकर प्रार्थीगण के खेत पर आये और प्रार्थीगण को धमकी दी कि पटवारी ने सीमाज्ञान गलत कर दिया है। हमारी भूमि तुम्हारे कब्जे में दबी हुई है इसलिये हम तुम्हारी भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे। प्रार्थीगण ने कहा कि हम हमारी भूमि की पत्थरगढी करवा लेते है, अगर हमारी भूमि में तुम्हारी भूमि निकलती है, तो छोड देगें तो पडौसी खातेदारान ने कहा कि हम पत्थरगढी पर विश्वास नहीं करते है। हमारी इच्छा होगी, वहाँ होकर भूमि लेगें। हम लाठी व पैसे वाले है। इस वजह से सीमा विवाद उत्पन्न हो गया इसलिये प्रार्थीगण को पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है, जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु खाम डोल कर सकें। दिनांक 13.06.2024 को प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान करने व दिनांक 10.12.2024 को प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार प्रार्थीगण की भूमि में जबरन घुसने तथा कब्जा करने की धमकी देने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है जो प्रार्थना पत्र अंदर मियाद व नियत कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 51 पुराना 43 के खसरा नंबर 111 लगायत 120, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133 कुल किता 19 कुल रकबा 3.85 हैक्टेयर वाके ग्राम नांगवास तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है, का तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा को पत्थरगढी मुताबिक नक्शा मौका करवाये जाने बाबत तहसीलदार बांदीकुई को आदेश प्रदान फरमाये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गयी। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार उपस्थित। प्रकरण में बहस प्रार्थीगण वकील एवं पैरोकार सरकार सुनी गयी। प्रार्थीगण वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम नांगवास खाता सं. नया 51 पुराना 43 कुल किता 19 कुल रकबा 3.85 हैक्टे. सीमाज्ञान पर्चा मौका ग्राम नांगवास दिनांकः 13.06.2024 का अवलोकन कियागया। राजस्व जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम नांगवास खाता सं. नया 51 पुराना 43 के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम नांगवास दिनांकः 13.06.2024 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है।भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थीगण को एल.आरएक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी, सीमाज्ञान पर्चा मौका वाके ग्राम नांगवास दिनांकः 13.06.2024 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण की भूमि खाता संख्या नया

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

51 पुराना 43 के खसरा नंबर 111 लगायत 120, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133 कुल किता 19 कुल रकबा 3.85 हैक्टेयर वाके ग्राम नांगवास तहसील बांदीकुई की मुताबिक मौका पर्चा सीमाज्ञान वाके ग्राम नांगवास दिनांकः 13.06.2024 के विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बॉदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बॉदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

8/1/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई